

**कार्यालय अधिष्ठाता, राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई**  
**चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।**

पत्रांक: सीएसयूडीएच/259 /2026-27

दिनांक: 12/11/2026

**आवश्यक सूचना/निर्देश**

राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई में अध्ययनरत समस्त स्नातक छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं० सी-2229/स०क०शिक्षा/सी. एन-1319383/2026-27 दिनांक 16.09.2026 द्वारा समाज कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सम्बन्धित वेबसाइट (<https://scholarship-up-gov-in>) पर आनलाइन आवेदन कर आवेदन प्रारूप रामस्त अभिलेखों / प्रपत्रों सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्बन्धित पटल सहायक को दिनांक 15.10.2026 तक जमा करना सुनिश्चित कर लें।

**1. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश:-**

- छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर वर्ष 2026-27 में OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) के माध्यम से छात्र/छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- माता-पिता का तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (यदि माता पिता सरकारी सेवक है तो उनके कार्यालय द्वारा निर्गत वेतन प्रमाण पत्र सहित) संलग्न करें। माता-पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में अभिभावक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, छात्र/छात्रा का आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य न होगा।
- केवल उत्तर प्रदेश का निवासी छात्र/छात्रा आवेदन कर सकता है।
- जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
- सामान्य वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा के माता-पिता एवं संरक्षक की वार्षिक आय रु० 2,00,000.00 (दो लाख) तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्रा के माता-पिता एवं संरक्षक की वार्षिक आय रु० 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) से कम हो, वही छात्र/छात्रा आवेदन कर सकते हैं।
- हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं पिछली परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
- आनलाइन आवेदन की हार्डकापी समस्त प्रमाण पत्र संलग्न कर एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में जमा करें।
- छात्र/छात्रा Adhar Seeding एवं MPCII Mapping अवश्य करा ले. आधार बैंक खाता से लिंक होना आवश्यक है।
- छात्र/छात्रा का एवं माता-पिता का आधार कार्ड की छायाप्रति छात्रवृत्ति आवेदन प्रपत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
- छात्र/छात्रा अपने पाठ्यक्रम की जाँच करने के उपरान्त आवेदन करें।
- आवेदन पत्र में आधार नम्बर एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया आई०डी० नम्बर अंकित करना अनिवार्य है तथा आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करा लें।
- छात्रवृत्ति आवेदन प्रपत्र सम्बन्धित वार्डन/सम्बन्धित विभाग द्वारा अग्रसारित कराने के बाद ही कार्यालय में जमा करें।
- यदि छात्र/छात्रा द्वारा वर्ष 2025-26 में अध्ययन नहीं किया गया है। तो रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर कारण स्पष्ट करें।

- यदि छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, तो छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
- सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जन जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं की बायोमैट्रीक उपस्थिति अनिवार्य हैं।
- छात्रवृत्ति पोर्टल आयकर विभाग से लिंक कर दिया गया है, जाँचोपरान्त किसी भी छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र में आय प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो छात्र/छात्रा पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापसी के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

१२२९

छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा को रु० 10 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र जमा करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र पर जो भी सूचना अंकित की गयी है वह सत्य है, तथा उनके द्वारा किसी भी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की जा रही है एवं वह अध्ययनकाल में सेवारत नहीं है, यदि आवेदन पत्र पर अंकित सूचना असत्य पायी जाती है तो इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनके द्वारा प्राप्त की गयी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर ली जायेगी एवं विभाग छात्र/छात्राओं के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा तथा शासन/प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा।

नोट:- उपरोक्त तथ्यों को अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कार्यालय पत्रांक सीएसयूडब्लू /834 /2026 दिनांक 30.09.2026 द्वारा लिया गया है

नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति

अधिष्ठाता, रा0कू0महा0, हरदोई

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
2. समस्त छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकायें।
3. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को इस आशय से कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. समस्त छात्रावास नोटिस बोर्ड।
5. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति

अधिष्ठाता, रा0कू0महा0, हरदोई